न्यायालय–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, नवादा।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–2953/2025

(परिवाद पत्र सं0 – 1297/2024)

अन्तर्गत धारा–85 बी.एन.एस.

सिया देवी एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
17.04.2026	प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदक अभियुक्तगण **सिया देवी एवं रामविलास सिंह** की ओर से परिवाद पत्र सं0–1297/2024 अन्तर्गत धारा–85 बी.एन.एस. में दाखिल किया गया है जिसमें उन्हें गिरफ्तार होने की आशंका है। आवेदन की प्रति अभियोजन को दी गयी है। अभिलेख पर टी.सी.आर. उपलब्ध है। अभियोजन का केस संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादिनी की शादी हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार दिनांक 24.04.2018 को सन्नी कुमार के साथ हुई थी। परिवादिनी को शादी के समय उसके पिता अपने हैसियत के अनुसार लगभग 06 लाख रूपये नकद, एक मोटरसाइकिल, स्वर्ण आभुषण(जेवर) एवं अन्य घरेलू सामान दिया। उसके ससुराल वाले ने उससे दहेज में पांच लाख रूपये की मांग करने लगे, नहीं मिलने पर उसके साथ गाली–गलौज, मारपीट एवं तरह–तरह से काफी प्रताड़ित करने लगे। अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री लाल बहादुर शास्त्री एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्रीमती तबस्सुम मेहर को सुना। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण की ओर से प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध पहले से कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदकगण परिवादिनी के ससुर एवं सास है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप असत्य एवं बनावटी है। आवेदकगण द्वारा परिवादिनी से कभी भी दहेज की मांग नहीं किया गया और न ही किसी प्रकार से प्रताड़ित किया गया है। आवेदकगण विद्वान न्यायालय के आदेशानुसार बंधपत्र भरने को तैयार है। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से यह विदित होता है कि यह वाद धारा–85 बी.एन.एस. के अंतर्गत दर्ज किया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदकगण परिवादिनी के ससुर एवं सास है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप	

लगातार..... 17.04.2026	सामान्य व सर्वव्यापी है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अंतिल बनाम् सी.बी.आई एवं अरनेश कुमार बनाम् बिहार सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है। आवेदक अभियुक्तगण **सिया देवी एवं रामविलास सिंह** को इस आदेश के तिथि से 30 दिन के अन्दर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्म–समर्पण करने पर या गिरफ्तार होने पर उसके द्वारा 10,000/–(दस हजार) रूपये की समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ धारा–482(2) बी.एन.एस. के प्रावधान के शर्तो का पालन करते हुए वचनपत्र के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार बंधपत्र प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। (लेखापित) (रश्मि) जिला एवं अ0 सत्र न्या0–पंचम नवादा।	